



हरियाणा सरकार

माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1990-91

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC



D08553

प्रकाशक :

माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Aurobindo Marg,
New Delhi-110016

DOC. No.

D-8553

05-5-95

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1990-91 OF SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT.

There is a Vast arrangement of Secondary Education in the state. During the reporting period 1399 Middle, 2022 High and 325 Secondary Schools (Including 9 Navodya Vidyalyas) were in existence in the state in which 547105, 1229639 and 320484 students respectively received education. During this period the percentage of students reading in 6th to 8th Classes in the age-groups of 11-13 was 78.6 boys and 50.5 girls and the percentage of Scheduled Castes students was 66.4 boys and 35.1 girls. Similarly, the percentage of students studying in 9th and 10th classes in the age groups of 14-15 was 53.2 boys and 28.2 girls and the percentage of Scheduled castes in these classes was 38.0 boys and 12.5 girls. The number of teachers teaching in Middle, High and Secondary School was 12179, 36174 and 8836 respectively. The provision of Education facilities exists within a radius of 1.94 Km and 2.45 Km in respect of Middle & High.

During the period under report 56 Primary, 50 Middle and 60 High Schools were upgraded to Middle, High and Senior Secondary Schools respectively.

In the year 1990-91, Rs. 15874.98 were spent on Secondary Education. The Expenditure of Non-Government schools to the extent of 75% of the deficit is met by the State Government in form of maintenance grant. During this period, an amount

(ii)

of Rs. 829.84 Lakhs was given to Non-Government Schools in form of grant.

Free education is provided from 6th to 8th classes in all Government Schools of the State. In addition to this girls are provided free education upto 10+2 classes in all Government Schools. During the reporting period free stationery worth Rs. 61.71 lakhs was provided to 70000 students belonging to Scheduled Castes and weaker sections students. Rs. 34.50 lakhs were provided for providing free uniforms to 66000 Harijan Girls students.

Special coaching is given to scheduled castes students of 9th and 10th class in the subject of Mathematics, English and Science for three months. Rs. 9.29 Lakhs were arranged for this purpose in 1990-91.

During the reporting period Rs. 469.70 Lakhs were spent on various scholarships out of which Rs. 407.70 lakhs were spent on scheduled/Backward classes students.

During the reporting period Rs. 130 lakhs were spent on construction/repair of bulding of Government Schools.

Assistance to the tune of Rs. 710900/- was given from teacher welfare founds to Teachers or their dependents in indigent circumstances.

A state Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of the Educational Institutions, administrators connected with education and teachers through the activities

(iii)

of standardization of education, innovation, research, studies and training.

Rs. 36 lakhs were arranged for purchasing dual desks for the students of Secondary Schools.

According to the rules of Defence Ministry of Government of India Cadets are given Military Training in the three wings of Navy, Military and Air of Army under N. C. C. project. During the year under report number of Junior Divisions Cadets was 16550.

During the year under report Sh. Surender Singh Barwala held the charge of Minister of State for education and Sh. A. N. Mathur worked as Commissioner of Education. Sh. N. K. Jain, I. A. S. Sh. S. C. Disodia IAS and Sh. S. C. Chaudhry I.A.S. worked as Director of Secondary Education in different periods.

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को समीक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए आपक व्यवस्था है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 1399 मिडल, 2022 उच्च तथा 325 वरिष्ठ माध्यमिक (जिसमें 9 नवोदय विद्यालय है) विद्यालय चल रहे थे, जिनमें क्रमशः 547105, 1229639 और 320484 छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की। इन अवधि में 11-13 आयु वर्ग के कक्षा 6-8 में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 78.6 लड़के तथा 60.5 लड़कियां और अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता 66.4 लड़के और 35.1 लड़कियां थी। इसी प्रकार 14-15 आयु वर्ग के नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 53.2 लड़के तथा 28.2 लड़कियां थी और अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता 38.6 लड़के और 12.5 लड़कियां थी। वर्ष 1990-91 में मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या क्रमशः 12179, 36174 तथा 8836 थी। मिडल और उच्च शिक्षा सुविधा क्रमशः 1.94 कि० मी० और 2.45 कि० मी० की परिधी में उपलब्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि में 56 प्राथमिक, 50 मिडल और 60 उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर क्रमशः मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया।

वर्ष 1990-91 में माध्यमिक शिक्षा पर 15874.98 लाख रुपये व्यय किये गये।

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75% तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को अनुदान के रूप में 829.84 लाख रुपये की राशि दी गई। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों की राज्य के राजकीय विद्यालयों में

10+2 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अनुसूचित जाति तथा कमबोर वर्ग के 70 हजार छात्र/छात्राओं की 61.17 लाख रुपये की मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान की गई व 66000 हरिजन जाति की छात्राओं को मुफ्त वर्दी देने के लिए 34.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में तीन भास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। वर्ष 1990-91 में इसके लिए 9.29 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में 469.70 लाख रुपये विभिन्न छात्रवृत्तियों पर व्यय किये गये जिसमें 407.70 लाख रुपये अनुसूचित /पिछड़ी जातियों के छात्रों पर व्यय किये गये।

रिपोर्टाधीन अवधि में 330 लाख रुपये राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण/ मरम्मत पर व्यय किये गये।

विपदाग्रस्त ग्रन्थालयों/उनके आश्रितों को राष्ट्रीय ज्ञानपीठ कल्याण कोष से 710900 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

शिक्षा स्तर को समुन्नत करने सम्बंधी क्रिया कलाओं, नई पद्धति, अन्वेषण अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है।

माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के ड्यूटी डेस्क खरीदने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन सी सी परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल और वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में कैडेटों को दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में जूनियर डिविजन के कैडेट्स की संख्या 16550 थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बरबाला राज्य शिक्षा मंत्री तथा श्री ए. एन. माथूर आई. ए. एस. ने शिक्षा आयुक्त के रूप में कार्य किया। निदेशक सैकण्डरी शिक्षा के रूप में श्री एन. के. जैन आई. ए. एस., श्री एस. सी. दिसोदिया आई. ए. एस. तथा श्री एस. सी. चौधरी आई. ए. एस. ने विभिन्न अवधि में कार्य किया।

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1990-91 में श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला ने राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। शिक्षाजायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री ए. एन. माथुर आई. ए. एस. तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री महा सिंह आई. ए. एस. ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

निदेशक संकण्डरी शिक्षा के पद पर श्री एन. के. जैन आई. ए. एस. ने 1.4.90 से 12.7.90, श्री एस. सी. दिसोदिया आई. ए. एस. ने 12.7.90 से 18.10.90 तक, श्री एस. सी. चौधरी आई. ए. एस. ने 25.10.90 से 31.3.91 तक कार्य किया। निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निदेशक संकण्डरी शिक्षा को सहयोग दिया:-

<u>पदों का नाम:-</u>	<u>अधिकारियों की संख्या</u>
1. निदेशक एस. आर. सी.	1
2. संयुक्त निदेशक विद्यालय	1
3. श्री. एस. डी. (विद्यालय)	1
4. प्रशासन अधिकारी (विद्यालय)	1
5. उप निदेशक	5
6. सहायक निदेशक	6
7. युवक एवं खेल अधिकारी	1
8. मुख्य लेखा अधिकारी	1

9.	बजट अधिकारी (विद्यालय)	1
10.	रजिस्ट्रार शिक्षा (विद्यालय)	1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा का प्रशासन, नियन्त्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्यों को भली भाँति चलाने के लिए सभी उपमण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, पुराने 12 जिलों में एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेलकूद) भी नियुक्त हैं।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्य अध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1990-91 में माध्यमिक शिक्षा पर 15874.98 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें योजनोत्तर पक्ष पर 14817.57 लाख रु० तथा

योजना पक्ष पर 1057.41 लाख रुपये व्यय हुये। वर्ष 1989-90 में माध्यमिक शिक्षा पर 12633.51 लाख रु की राशि खर्च की गई जिसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 10391.18 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 2242.33 लाख रुपये व्यय हुये।

अराजकीय विद्यालय को अनुदान

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के चाटे की 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 56.19 लाख रुपये की राशि दी गई। कोठारी अनुदान के अन्तर्गत इन विद्यालयों को 163.92 लाख रु की राशि दी गई। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन तथा डी०ए० के बकाया के भुगतानार्थ 599.23 लाख रु की राशि व्यय की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुछ अन्य संस्थाओं को भी अनुदान दिए गये जो निम्न अनुसार हैं :

<u>संस्थाएं</u>	<u>राशि लाख रुपये में</u>
1. माकेत मिडल विद्यालय चण्डी मन्दिर	1.47
2. संस्कृत महाविद्यालय	4.91
3. हरियाणा वेलफेयर सोसायटी फार हीयरिंग एंड स्पीक हेन्डीकैप्ड	4.12

अध्याय दूसरा

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा छठी से 12वीं कक्षा तक दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में मिडल विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। जिनका निम्न अनुसार वर्णन है :—

मिडल शिक्षा

राज्य में मिडल शिक्षा छठी से आठवीं कक्षा तक दी जाती है। इसके लिए राज्य में अलग से मिडल विद्यालय है तथा इसके अतिरिक्त छठी से आठवीं तक की कक्षाएं उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। वर्ष 1990-91 में 56 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर मिडल किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में मिडल विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी —

मिडल विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1084	165	1249
गैर सरकारी	147	3	150
कुल	1231	168	1399

राज्य में मिडल शिक्षा सुविधा 1.94 कि० मी० की परिधि में उपलब्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ने

वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़किया	जोड़
विद्यालय अनुसार	30,78,77	2,39,228	5,47,105
स्तर अनुसार	4,58,477	2,67,948	7,26,425

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार	63,359	49,247	1,12,606
स्तर अनुसार	73,607	35,384	1,88,991

रिपोर्टाबली अवधि में 11-15 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार रही :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	78.6	50.5	65.2
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	66.4	35.1	51.5

रिपोर्टाबली अवधि के दौरान मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	7382	4797	12179
स्तर अनुसार	12793	7109	19902

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

विद्यालय अनुसार	502	159	641
स्तर अनुसार	447	101	548

उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा नारी और दसवीं कक्षाओं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके प्रतिरिक्त नवीं और दसवीं की कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। वर्ष 1990-91 में 50 राजकीय मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इसके प्रतिरिक्त 8 अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा एक अराजकीय उच्च विद्यालय की सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। वर्ष 1990-91 में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी

उच्च विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1464	236	1700
गैर सरकारी	260	62	322
जोड़	1724	298	2022

राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा 2.45 कि०मी० की परिधि में उपलब्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार	7,67,084	4,02,555	12,29,639
स्तर अनुसार	1,91,558	96,995	2,88,553

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार	1,35,956	75,892	2,11,848
स्तर अनुसार	26,049	8,180	34,229

वर्ष 1990-91 में 14-15 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :—

कुल छात्रों की प्रतिशतता	53.2	28.2	40.2
अनुसूचित जातियों के	38.0	12.5	25.6

छात्रों की प्रतिशतता

वर्ष 1990-91 में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	22295	13879	36174
स्तर अनुसार	9819	5225	15044
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
विद्यालय अनुसार	977	188	1165
स्तर अनुसार	298	46	344

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

राज्य में वरिष्ठमाध्यमिक शिक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं कक्षा में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 60 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया गया है। वर्ष 1990-91 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	194	41	235
गैर सरकारी	74	16	90
जोड़	268	57	325

वर्ष 1990-91 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :

(क) कुल संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	3,25,416	95,068	3,20,484
स्तर अनुसार	78,483	30,416	1,08,899

अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

विद्यालय अनुसार	29,507	8305	37,812
स्तर अनुसार	9,291	1634	10,925

वर्ष 1990-91 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	5091	3745	8836
स्तर अनुसार	1594	786	2380

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

विद्यालय अनुसार	124	40	164
स्तर अनुसार	92	26	118

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों में नौवीं से 12 वीं कक्षा तक लड़कियों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को छठी से आठवीं कक्षा तक 40 रु0 तथा नौवीं से 12 वीं कक्षा तक 60/- रु0 प्रति छात्र/ छात्राओं को लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 61.71 लाख रुपये खर्च हुये तथा 70000 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया है। कक्षा 6-8 वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की छात्राओं को 50 रु0 प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराने हेतु 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा 60000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। कक्षा नौवीं से 12 वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को 75/- रु0 प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा चुन्नी टुपट्टा देने हेतु 4.50 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 6000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है। क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है। अतः इन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर के बाद पढ़ती है।

सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

विशेष कीर्तिग कक्षार्थ

नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष 3 मास के लिए विशेष कीर्तिग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सकें। ये कक्षार्थ प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक विषय में कमसे कम 10 या उससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए। इसके लिए वर्ष 1990-91 में 9.30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अध्याय—तीसरा

छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से बजीके एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/-रु0 प्रतिमास की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्ष 1990-91 में 10042 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं तथा 12.05 लाख रुपये खर्च किए गए। वर्ष 1989-90 में 9042 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं तथा 10.85 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में 15/-रु0 मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1990-91 में 5586 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गईं तथा इस छात्रवृत्ति पर 10.6 लाख रुपये खर्च हुए। वर्ष 1989-90 में 4736 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं तथा इन पर 8.52 लाख रुपये खर्च हुए।

मैत्रिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ :-

देश के विभिन्न मैत्रिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 536 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृत्तियाँ एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 30.18 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1989-90 में 535 छात्रों पर 29.59 लाख रुपये व्यय किये गये।

पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य वित्तीय सहायता:-

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अर्धीन नीची से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20/-रु प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 115.40 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई तथा 23,000 छात्रों को लाभ पहुंचाया। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 88.70 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 29297 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य वित्तीय सहायता:-

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। इस योजना के अर्धीन नीची से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन जाति के विद्यार्थियों को 20/-रु की दर से छात्रवृत्तियाँ दी गईं। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 121.05 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 37000 छात्रों को लाभ पहुंचाया। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 125.65 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 37750 छात्रों को लाभान्वित किया गया। छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 15/-रु प्रति मास की दर से बरीफा दिया

जाता है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 165.39 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 72000 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देना:-

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। इस योजना के अधीन छोटी कक्षा से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति छोटी से आठवीं कक्षा तक 15/-₹0 मासिक दर से तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 16/-₹0 मासिक दर से दी जाती है। वर्ष 1990-91 में इस छात्रवृत्ति के लिए 3.34 लाख रुपये की व्यवस्था की तथा 750 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 2.70 लाख रुपये खर्च हुए तथा 1800 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :-

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 7 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती है। यह छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रवास में रहते हैं उन्हें 100/-₹0 प्रतिमास तथा डे स्कालरज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/-₹0 रुपये प्रतिमास और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा में पढ़ने वालों की 60/-₹0 रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 1990-91 में इसके लिए 5.83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्ति योजना:-

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृत्तियां नौवीं कक्षा में दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं तथा दसवीं, ग्यारहवीं, तथा बारहवीं कक्षाओं में भी जारी रहती हैं। ये छात्रवृत्तियां नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 80/-₹0, 100/-₹0, 120/-₹0, और 140/-₹0 प्रतिमास की दर से दी जाती हैं। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 5.86 लाख रुपये व्यय हुए तथा 480 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अध्याय चौथा

विधि

शिक्षक प्रशिक्षण:-

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में निम्नलिखित संस्थाओं में डी० एड० एवं प्रो० टी० की कक्षाएँ चल रही थी, जिनके सम्मुख सीटों की स्वीकृत संख्या भी दी हुई है:-

<u>क्र० संख्या</u>	<u>संस्था का नाम</u>	<u>सीटें प्रो० टी०</u>	<u>सीटें डी० एड०</u>
1.	राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान फिरोजपुर नमक (गुडगांवा)	105	--
2.	-- सम --	घारला एट गोरनी	50 --
3.	-- सम --	, लोहारु(भिवानी)	80 --
4.	-- सम --	, मिठी सुरेरा (सिरसा)	80 --
5.	-- सम --	, ओढ़ा (सिरसा)	80 --
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांवा	80	40(हिन्दी)
7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बीसवांभील (सोनीपत)	80	40(संस्कृत)

वर्ष 1988-89 में भारत सरकार ने मोहड़ा (अम्बाला), बिरही कलां (भिवानी) इक्कस (जीन्द) महेन्द्रगढ़ खास, मदीना (रोहतक), डींग (सिरसा) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। इन संस्थानों के लिए वर्ष 1990-91 में 36 लाख रुपये भारत सरकार ने उपकरण आदि के लिए स्वीकृत किये।

आज के विज्ञान एवं गतिशील युग में नित नई खोज हो रही है और नई विधि तथा कार्यप्रणाली आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन नई खोजों, विधियों तथा कार्यप्रणाली बारे अवगत कराने के लिये शिक्षकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण का ही समुचित प्रबन्ध है। वर्ष 1990-91 में 1545 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।

विद्यालय भवनों की देखभाल

वर्ष 1990-91 में 130 लाख रुपये की राशि (कट के पश्चात) योजना पक्ष पर विद्यालय भवनों के निर्माण/मरम्मत के पिछले चल रहे कार्यों को पूर्ण करने हेतु व्यर्वास्थित थी। इस राशि से गत वर्ष से चले आ रहे निर्माण/मरम्मत के कार्यों में से लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार 20 विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु योजनोत्तर पक्ष पर बजट में एक करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1990-91 में उपलब्ध थी। इस राशि के समक्ष सरकार ने 44 विद्यालय भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कमरों के निर्माण, चार दिवारी के निर्माण के अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी। इन कार्यों की पूर्ण राशि अधीक्षक अभियन्ताओं लोक निर्माण विभाग की डिस्पोजल पर रखी गई थी। परन्तु इस मामले में अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सूचित नहीं किया गया है कि दह सभी कार्य समपन्न हो चुके है या नहीं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1989-90 में भवन निधि नियमावली में संशोधन करके मुख्याध्यापकों/प्राचार्यों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जिसके अनुसार वे अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण के कार्य करवा सकें ताकि विद्यालय भवन अक्षयक लगे। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को 5000/- रुपये, मिडल विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को 8000/- रु तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों को 10,000/- रु तक की राशि विद्यालय भवन निधि नियमावली के अंतर्गत गठित की गई कार्यकारिणी समिति की देख रेख में खर्च करने की क्षमता प्रदान की गई है। अब भवन निधि की 70 प्रतिशत राशि विद्यालयों में एकत्रित होगी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर एकत्रित की जायेगी।

नये भवन निर्माण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान के समक्ष सरकार ने 95 राजकीय

विद्यालय भवनों के (6 सैकेण्डरी, 31 उच्च, 25 मिडल और 34 प्राथमिक) निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी। जिसमें से वर्ष 1989-90 तक 63 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा त्रिंशद माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छोटी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 35 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हो जो अल्पसंख्यक से संबंधित हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं। परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए 8 तथा किसी विद्यालय के लिए 30 है।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हो आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। इस राशि में ये प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है। कार्यरत अध्यापकों को उनकी विमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है। वर्ष 1990-91 में अध्यापक कल्याण कोष के लिए 9,44,540/- रुपये एकत्रित हुये तथा अध्यापकों/परिवारों को 7,10,900/- रुपये की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षा के स्तरोन्नत, विभिन्न शोध, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की हुई है। अपने जन्मकाल से ही यह परिषद् अपनी विविध तथा विविध कार्यक्रमों में सलग्न इकाईयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समय अनुसार करने हेतु यथा समर्थन प्रयासरत है।

कम्प्यूटर लिटरेसी

राज्य में कम्प्यूटर लिटरेसी कार्यक्रम 58 विद्यालयों में चल रहा है। इन विद्यालयों में 8 केन्द्रीय विद्यालय भी हैं। इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए भारत सरकार केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों को 3500/- रुपये के कन्टीजेंट ग्रांट देता है। जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन-तीन प्राध्यापकों को कम्प्यूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

पाठ्यपुस्तक अनुभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पाठ्य पुस्तक कक्ष में इस वर्ष कुल 47 पाठ्यपुस्तकों के टाइटल्स तैयार करवाकर हरियाणा राज्य के छात्रों को उपलब्ध करवाये।

पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करवाने से पूर्व उनमें वांछित संशोधन किया गया। शैक्षिक स्तर से पुस्तकों का अभाव न हो तथा वर्ष के अन्त में पुस्तकों का स्टॉक अधिक शेष न बचे, के दृष्टिगत भूटानादेश देते समय आगामी वर्ष की छात्र संख्या, गत तीन वर्षों की पुस्तकों की औसत बिक्री तथा नवीनतम स्टॉक स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

शैक्षिक वर्ष 1991-92 के लिए कक्षा 1-5 की 14 पाठ्यपुस्तकों में से 12 टाइटल्स को मुद्रित करवाकर उनके रिलीज आदेश भी मुद्रण विभाग को दिये गये। माध्यमिक स्तर पर 48 पुस्तकों में से 36 टाइटल्स का मुद्रण आदेश दिया गया, जिसमें व्याकरण-6 का पूर्व पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण मुद्रण विभाग ने इसे लम्बित रखा। 35 टाइटल्स में से 21 पुस्तकों को रिलीज

आदेश मुद्रणालय को दिये जा चुके हैं। 14 पुस्तकें अभी रिलीज हेतु प्रिंट से प्राप्त होनी शेष हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991-92 के लिए प्राथमिक कक्षाओं की सभी पुस्तकें पाठ्य क्रम संशोधन के अन्तर्गत मुद्रित करवाई गई। माध्यमिक स्तर की पांच पुस्तकें गणित-6, भूगोल-6, इंग्लिश-6, इंग्लिश-7 तथा संस्कृत-7 भी संशोधित पाठ्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत मुद्रित करवाई गई।

निदेशालय द्वारा सदैव की भांति इस वर्ष भी अल्प संख्यक भाषा उर्दू के प्रोत्साहन हेतु भरपूर प्रयत्न किया गया। हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए इस विषय में उत्तम स्तर की परन्तु सस्ती एवं आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। उर्दू भाषा की पुस्तकों की मांग कम होने के कारण पुस्तकें कम संख्या में मुद्रित करवाई जाती हैं तथा यह पुस्तकें हस्तलिखित होती हैं। अतः यह पुस्तकें अन्य विषय की पुस्तकों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य पर मुद्रित होती है। इस कारण वर्ष 1990-91 में उर्दू-7 की पुस्तक, जो 25/- रुपये प्रति पुस्तक के मूल्य पर मुद्रित हुई थी, पर सरकार से 15/- 80 प्रति पुस्तक की दर से उपलब्ध करवाई गई। इस कार्य हेतु सरकार से 30,000/- रुपये की सबसिडी राशि स्वीकृत करवाई गई। इसी प्रकार उर्दू-8 की पुस्तक को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाने हेतु 26,000/- रुपये की राशि का मामला भी स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा गया।

हरियाणा के स्कूली छात्रों के पठन पाठन कार्य में समानता/निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विभाग द्वारा विद्यालयों में निःशुल्क वितरणार्थ माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम बांट की पुस्तिकायें मुद्रित करवाई गई तथा ये पुस्तिकायें राज्य के सभी स्कूलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निःशुल्क वितरित करवाई गई।

आगामी शैक्षिक वर्ष 1991-92 के लिए भी मासवार पाठ्यक्रम की बांट संबंधी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के लिए पुस्तिकायें छपवाने हेतु पाण्डुलिपि तैयार करके मुद्रण हेतु विभाग को भेजी गई।

यह अनुभाग शिक्षा के चौमुखी विकास तथा उचित मूल्यों पर उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए फर्नीचर

वर्ष 1990-91 में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए ड्यूल डेस्क की व्यवस्था करने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की, जो सभी जिलों में छात्र संख्या के अनुसार वितरित कर दी गई।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1990-91 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 33,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

एन. सी. सी.

भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एन.सी. सी. परियोजना के अर्न्तगत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में क्रेडिटस को दिया जाता है। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन. सी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है। विद्यालयों के छात्रों के लिए स्थापित जूनियर डिबीजन के क्रेडिटों की संख्या निम्न प्रकार रही :-

क्रेडिट स्वीकृत संख्या

1. इन्फैन्ट्री बटालियन (लड़कों के लिए)	13750
2. इन्फैन्ट्री बटालियन (लड़कियों के लिए)	1000
3. जल विंग	450
4. वायु विंग	1350

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

हरियाणा राज्य में वर्ष 1990-91 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा है। केवल कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था। जिन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वे निम्न प्रकार हैं:-

<u>क्र० संख्या</u>	<u>संस्था का नाम</u>	<u>केन्द्रों की स्वीकृत संख्या</u>	<u>पाठकों की संख्या</u>
--------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------

(प्रौढ़ शिक्षा)

1.	जनता कल्याण समिति रिवाड़ी	300	9000
2.	लक्की ऐजुकेशन सोसाईटी महम	30	900

(अनौपचारिक शिक्षा)

1.	जनता कल्याण समिति रिवाड़ी	100	2500
2.	लक्की ऐजुकेशन सोसाईटी महम	100	2500
3.	हरियाणा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति खरखीदा	30	750
4.	कन्या गुरूकुल महाविद्यालय खरखीदा	200	5000
5.	पी.एच.डी हरल डवैलप्मेंट फाउन्डेशन दिल्ली	100	2500

श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए एक श्रमिक विद्यापीठ स्थापित है। इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल, अर्धकुशल, श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धन्धा सिखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित साहित्यिक सामग्री तैयार

करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसोधन केन्द्र कार्यरत हैं। उसका सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

एन.एस.एस.

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य के 90 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1990-91 में इन विद्यालयों में से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत भर्ती के लिए स्वयंसेवकों की संख्या निर्धारित की गई जिसके समक्ष 9718 स्वयंसेवक भर्ती किये गये। इन स्वयंसेवकों में से 1980 स्वयंसेवकों ने विभिन्न गतिविधियों के लिए जयाने गये कैंम्पों में भाग लिया।

विद्यालय क्रिडा

वर्ष 1990-91 में हरियाणा राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में 83 स्वर्ण, 83 रजत तथा 38 कांस्य पदक प्राप्त किये।

24984—D.P.I.—H. G.P., Chd.

NIEPA DC



D08553

Nac

Plac

17-1

110016

D-8553

85-05-95